अध्याय
05

अधिकार

सिखने का प्रतिफल

इस अध्याय में विद्यार्थी जनता के अधिकार के बारे में सीखेंगे ।

अधिकार का अर्थ

- अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग है जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है तो वह मांग अधिकार बन जाती है, समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती।
- अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं
- आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए आवश्यक है।
- अगर कोई कार्य कलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता जैसे-

1. नशीले पदार्थों का सेवन करना या सुई लगाना, धूम्रपान करना आदि।
2. प्रतिबंधित दवाओं का सेवन।

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा

- विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं, इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया।

अधिकार की आवश्यकता

- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए
- लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए
- व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए
- व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए

© JCERT not to be republished

अधिकारों की उत्पत्ति

- 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत है हमें जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं।
- उन्होंने मनुष्य के तीन प्राकृतिक अधिकार बताएं हैं

  1. जीवन का अधिकार
  2. स्वतंत्रता का अधिकार
  3. संपत्ति का अधिकार

- अन्य सारे अधिकार इन अधिकारों से ही निकले हैं इन अधिकारों का दावा करें या ना करें व्यक्ति होने के नाते यह हमें प्राप्त है।
- प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्य अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है।
- प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है, मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है
- मानव अधिकारों का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा संबंधों को चुनौती देने के लिए किया जाता रहा है
- अधिकारों की ईसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र बना है यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है

कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता

- अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहां के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता में बुनियादी महत्व प्रदान करती है।
- हमारे देश भारत में ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते है हमारे संविधान में छह मौलिक अधिकार का वर्णन है जो निम्न हैं

  1. समता या समानता का अधिकार
  2. स्वतंत्रता का अधिकार
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
  5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समता या समानता का अधिकार

- विधि के समक्ष समता
- धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

© JCERT not to be republished

- लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता
- अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत
- उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
- संघ बनाने की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बरसने की स्वतंत्रता
- कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध।
- 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- अन्त:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता।
- राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।
- कुछ शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार
- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- उत्प्रेषण
- प्रतिषेध
- अधिकार पृच्छा

नोट- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को सूचि से हटा कर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया

यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरुपयोग को रोके इसलिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है।

© JCERT not to be republished

- मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य
- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें
3. भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे आच्छुन्न रखे।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान मातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
6. हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्यजीव नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
11. जो माता-पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

अधिकारों के प्रकार

राजनीतिक अधिकार

- अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं
- राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियों बनाने या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं।
- राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है- स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा शांति प्रकट करने का अधिकार।
- नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं।
- अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है सरकार

© JCERT not to be republished

को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर, शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर, और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर ।

आर्थिक अधिकार

- कुछ देशों में नागरिक खासकर निम्न आय वाले नागरिक आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं।
- कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
- भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है।

सांस्कृतिक अधिकार

- वर्तमान समय में अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकार को भी मान्यता दे रही है।
- मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार अपनी भाषा संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने के अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

अधिकार और जिम्मेदारियां

- अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपने निजी जरूरतों और हितों को ही ना सोचें कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं जैसे

1. ओजोन परत की हिफाजत करना
2. वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना
3. नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना
4. परिस्थितिकिय संतुलन कायम रखना

- अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग अधिकारों का सम्मान करें
- अधिकारों का संतुलन बनाए रखें
- नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में जानकारी होना चाहिए
- गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाजत और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए।

© JCERT not to be republished

प्रश्नावली

1. अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों है अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं?

उत्तर- अधिकार का अर्थ है मनुष्य के सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके द्वारा मनुष्य अपना विकास कर सकता है अधिकारों के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है ।

लास्की के अनुसार - अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता।

अधिकार का महत्व -

1. अधिकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।
2. अधिकार से व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले शक्तियों का विकास होता है।
3. व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है।
4. अधिकार सरकार को निरंकुश बनाने से रोकते हैं।
5. अधिकार सामाजिक कल्याण का साधन है।
6. अधिकार व्यक्ति के जीवन को सुख में बनाता है।

अधिकार की मांग के आधार-

1. मनुष्य अपने आवश्यकताओं के पूर्ति करना चाहता है इसी से उसके जीवन का विकास होता है उसकी सबसे पहली मांग यही होती है कि उसे ऐसे अवसर मिले जिनसे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें अधिकारों का निर्माण इन्ही मांगों के आधार पर होते हैं।
2. मांग अधिकार तभी बन सकते हैं जबकि उनकी प्राप्ति उन्हें जिनके लिए आवश्यक दिखाई दे समाज उस मांग को उचित समझकर स्वीकार करें।

2. किन अधिकारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं?

उत्तर -अधिकार जीवन के परिस्थितियों के रूप में महत्वपूर्ण और आवश्यक है परंतु अधिकारों को सार्वभौमिक रखा जा सकता है क्योंकि उनकी सभी कालों में सभी लोगों द्वारा मांग रही है वह अपने व्यवहार और सभ्यता के कारण महत्वपूर्ण है यह अधिकार मानव अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार हैं।

निम्नलिखित अधिकारों को सर्वभोमिक अधिकार कहा जा सकता है

1. जीविका का आधार -जीविका का आधार एक व्यक्ति के जीवन का आधार है जिससे उसका जीवन चलता है इसलिए यह अति महत्वपूर्ण आवश्यक और सार्वभौमिक है।
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता -अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें विभिन्न प्रकार से अपने को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है इस अधिकार के द्वारा लोग अपने को लिखकर,बोलकर या कलात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

© JCERT not to be republished

3. शिक्षा का अधिकार– शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को मानसिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करता है इससे हमें उपयोगी कौशल प्राप्त होते हैं जिससे हम जीवन के विविध पक्षों के चुनाव में सक्षम हो जाते हैं इसलिए शिक्षा के अधिकार को स्वाभाविक अधिकार स्वीकार किया जा सकता है।

3. संक्षेप में उन नए अधिकारों की चर्चा कीजिए जो हमारे देश में शामिल किए जा रहे हैं उदाहरण के लिए आदिवासियों के अपने रहवास और जीने के तरीके को संरक्षित रखने तथा बच्चों के बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार जैसे नए अधिकारों को लिया जा सकता है?

उत्तर आज का विश्व लोकतांत्रिक सरकार का विश्व है जिसमें संस्कृतिक, जाति, रंग, क्षेत्र, धार्मिक और व्यवसाय के प्रति जागरूकता और चेतना बढ़ रही है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा संस्कृति और धर्म के अधिकार से जुड़ा हुआ है इसलिए लोगों को उनके नए क्षेत्रों जैसे शिक्षा, संस्कृति, बाल अधिकार, महिला अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार, कृषक अधिकार, पर्यावरण अधिकार आदि अधिकार दिए जा रहे हैं।

आज के समाज सामान्य रूप से बहु समाज है जिसमें नागरिकों को विकास करने का और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक आवास की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने और उन को विकसित करने का अधिकार दिया गया है वे लोग विभिन्न प्रकार के रहन-सहन से संबंधित होते हैं विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, व्यवहार, त्यौहार और अन्य सभ्यताओं से संबंधित होते हैं वे शिक्षा से अपनी संस्कृति की प्रगति कर सकते हैं।

बच्चों को शोषण के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया जिससे वे पुरानी प्रथा की बुराइयों जैसे- बंधुआ मजदूरी को दूर कर सकते उनके सम्मान की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं।

4. राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए हर प्रकार के अधिकार को उदाहरण भी दीजिए?

उत्तर राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं इन्हें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं।

कुछ राजनीतिक अधिकार निम्न प्रकार से हैं

1. कानून के समक्ष समानता
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
3. मतदान का अधिकार
4. निर्वाचित होने का अधिकार

© JCERT not to be republished

5. संघ बनाने का अधिकार

6. प्रतिनिधि चुनने का अधिकार

7. राजनीतिक दल बनाने का अधिकार

आर्थिक अधिकार आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जैसे भोजन, कपड़ा मकान, विश्राम और रोजगार आदि राजनैतिक और आर्थिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मुख्य आर्थिक अधिकार निम्नलिखित हैं

1. कार्य करने का अधिकार

2. आवास एवं कार्य करने की उचित दशाएं

3. पर्याप्त मजदूरी का अधिकार

4. विश्राम का अधिकार

5. रोजगार का अधिकार

6. न्यूनतम आ सकता जैसे आवास भोजन वस्त्र आदि का अधिकार

7. संपत्ति का अधिकार

8. चिकित्सा सुविधा का अधिकार

सांस्कृतिक अधिकार सांस्कृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित हैं

1. स्थानीय वेशभूषा, त्योहार, पूजा और उत्सव मनाने का अधिकार।

2. शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार।

5. अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए?

उत्तर अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं क्योंकि अधिकार राज्य से प्राप्त मांग एवं दावे हैं इसलिए स्वाभाविक है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सुनिश्चित सुविधाएं उनके कल्याण और रोजगार के लिए प्रबंध करें ऐसा करने में राज्य के कार्य में कुछ कमियां आ जाती हैं नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए राज्य के लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अपनी प्रभुता के कारण शक्तिशाली है परंतु नागरिकों के संबंध राज्य की प्रभुता की प्रकृति पर निर्भर है राज्य अपनी रक्षा से ही अस्तित्व में नहीं होता बल्कि लोगों की सुरक्षा से ही टिक सकता है यह नागरिक ही होता है जिसका महत्व अधिक होता है राज्य के कानून लोगों के लिए अनेक कार्य के लिए उत्तरदायी और संतुलित है कानून राज्य और लोगों के मध्य संबंध को नियंत्रित करता है यह राज्य का कर्तव्य है कि वह आवश्यक दशाएं उपलब्ध करवाएं जिनकी नागरिकों द्वारा अपने कल्याण एवं विकास की मांगे और दावे किए जाते हैं राज्य को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

© JCERT not to be republished

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

   a. 10 दिसंबर

   b. 10 अक्टूबर

   c. 10 सितंबर

   d. 10 मार्च

2. अधिकार क्यों आवश्यक है?

   a. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए

   b. लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए

   c. व्यक्ति के प्रतिभा और क्षमता के विकास के लिए

   d. उपरोक्त सभी

3. निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है?

   a. कार्य करने का अधिकार

   b. संपत्ति खरीदने का अधिकार

   c. मतदान करने का अधिकार

   d. व्यापार करने का अधिकार

4. अधिकार किस प्रकार अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं?

   a. संविधान में लिखित हो

   b. स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक हो

   c. स्वतंत्र प्रेस हो

   d. उपरोक्त सभी

5. निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक अधिकार है?

   a. न्यूनतम भत्ता पाने का अधिकार

   b. मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

   c. स्वतंत्रता का अधिकार

   d. चुनाव लड़ने का अधिकार

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. अधिकार क्या है?

7. राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं?

8. अधिकार की आवश्यकता क्यों है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. मौलिक अधिकारों का वर्णन करें?

10. अधिकारों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं व्याख्या करें?

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1.a 2.d 3.c 4.d 5.b

© JCERT not to be republished